न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या - 45/2016

1) जयनारायण पुत्र प्रभुनारायण
2) भरतलाल पुत्र प्रभुनारायण
3) भागीरथ पुत्र प्रभुनारायण
4) जगदीश पुत्र प्रभुनारायण
5) रामकल्याण पुत्र प्रभुनारायण
6) रामकरण पुत्र प्रभुनारायण
7) भौरी पुत्री प्रभुनारायण
समस्त जातियान मीणा निवासीयान रायावाला
तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राजस्थान)

....प्रार्थीगण

बनाम

1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
जमवारामगढ़ (जयपुर)
2) ग्राम पंचायत थली पंचायत समिति जमवारामगढ़

.... अप्रार्थीगण

(1) प्रार्थीगण अधिवक्ता.
श्री रामकरण शर्मा
(2) अप्रार्थी- पैरोकार
सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
131, 136 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

P.T.O →

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

(2)

निर्णय दिनांक- 27/12/2019

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म आवादी गत खसरा नम्बर 25/1 रकबा 1.26 हैक्टेयर आवादी भूमि वाके ग्राम रायावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड में गै०मु० आबादी दर्ज है।

उक्त विवादित भूमि मूल खसरा नम्बर 25 रकबा 27 बीघा 7 बिस्वा में से ख०न० 25/1 रकबा 1.26 हैक्टेयर गै०मु० आवादी भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर ग्राम पंचायत थली द्वारा आवासीय बसावट कर दिनांक 05/03/2008 व 20/12/2012 को प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों को रहवास हेतु आवादी भूमि आंवटन की गई जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात बनाकर रहवास करते आ रहे है तथा मूल ख०न० 25 के नक्शे में पृथक से ख०न० 25/1 के नक्शे की तरमीम की गई तथा लट्ठा नक्शा में भी लाल स्याही से आवादी भूमि को पृथक किये जाने 5 बीघा रकबे की तरमीम नक्शे में दर्ज की गई तथा राजस्व जमाबन्दी में हाल ख०न० 85 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि गै०मु० आवादी दर्ज की गई।

P.T.O.

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

(3)

जो अवधि बन्दोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में गै० मु० आबादी दर्ज रही है एवं हाल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में भी गै०मु० आबादी दर्ज है।

उक्त आबादी की तरमीम शुदा भूमि ख०न० 251। की जगह नक्शे में चरागाह की भूमि के हाल ख०न० 86 रकबा 1.26 हैक्टेयर गै०मु० क्रीडा स्थल भूमि दर्ज कर दिये जो गलत है एवं भू-प्रबन्ध के दौरान सम्वंत 2059 से 2060 में ख०न० 251। के नये नम्बर 85 रकबा 1.25 हैक्टेयर दर्ज किया जो गत ख०न० 251। पूर्व से तरमीम शुदा राजस्व नक्शे में रहा है कि तरमीम गलत कर दी गई। और हाल ख०न० 86 के गत ख०न० 251। भिन्न पूर्व नक्शे में तरमीम शुदा नहीं था जिसे हाल नवीन नक्शा तरमीम करते समय पूर्व से तरमीम शुदा ख०न० 251। की तरमीम हाल नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई। जो कि पूर्व तरमीम से भिन्न है। उक्त गै०मु० क्रीडा का नम्बर दर्ज होने से आबादी भूमि की तरमीम में उक्त गै०मु० क्रीडा की भूमि दर्ज नक्शा की जो आबादी भूमि के पूर्व नक्शे से भिन्न तरमीम की गई जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत असर है उक्त तरमीम विधि विरुद्ध रूप से की गई है जिसे दुरुस्त किया जाना कानूनन है। अतः ख०न० 251। हाल ख०न० 85 की तरमीम पूर्व तरमीम अनुसार की जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा दुरुस्त किये जाने हेतु निर्देश दिया।

P.T.O.

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

(5)

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। पैरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/RMT/19/360 दिनांक 26/1/19 के द्वारा अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि पूर्व नक्शा व वर्तमान नक्शा का मिलान करने पर ख0नं0 85 किस्म गै0मु0 आबादी की वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे की तुलना में तरमीम कम कर दी गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम पर प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे की तुलना में तरमीम कम कर देने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रायावाला तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के अराजी ख0नं0 85/1 हाल ख0नं0 85 की तरमीम पूर्व तरमीम अनुसार करने के आदेश दिये जाते है तदानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा दुरुस्त किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/1/19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.03.05 13:53:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: